दिल्ली मे बेघर नागरिक

एक शोध की कहानी
(बेघर नागरिक (शहर निर्माता) आश्रय, आवास, सुबिधा, सुरक्षा और मौत)

जून 2015

शहरी अधिकार मंच– बेघरों के साथ

इस अध्ययन के लिये वित्तीय सहायता हाउसिंग एण्ड लैण्ड राईट नेटवर्क, इण्डो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाईटी व एक्शन एड द्वारा प्रदान की गई जिसके लिये हम आभारी हैं।

शहरी अधिकार मंच के साथियों के सहयोग के बिना यह अध्ययन संभव नहीं होता, आशा है कि यह रिपोर्ट मंच क काम आएगी।

शोधकर्त्ता सदस्य

संपादन : प्रतिभा
रिपार्ट : अशोक पाण्डेय एवं अब्दुल शकील
आंकड़े : अब्दुल शकील, शान्ता जी, प्रज्ञा जी, अशोक पाण्डेय, गंगाचरन, सुनील कुमार, मोहम्मद इब्राहिम, सन्तोष शर्मा, प्रतिभा जी, दीपा पाण्डेय

इतिहास

बेघर नागरिक आज भले ही हाशिए पर हैं परन्तु एक मजदूर के रूप मे इनका योगदान दिल्ली की अर्थब्यवस्था मे महत्वपूर्ण है। बेघर नागरिक (शहर निर्माता) काफी लम्बे समय से अपने मानवीय मूल्यों की रक्षा एवं हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेघर नागरिक नारकीय जीवन जीने को मजबूर है सन् 2000 मे दिल्ली मे लगभग 54000 से अधिक संख्या बेघर नागरिक (शहर निर्माता) की थी जो अब 2015 मे लगभग 1,65000 के आस पास है। सरकार बेघर नागरिक (शहर निर्माता) पर ध्यान केन्द्रित नहीं करती क्योंकि ये सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी नीति के अन्तर्गत नहीं आते।

परन्तु शहरी अधिकार मंच की सक्रियता के चलते सरकार द्वारा बेघर नागरिकों के लिए कुछ आश्रय गृह की शुरूआत जरूर की गयी है जो आवश्यकता के हिसाब से अपर्याप्त है जिसमे मूलभूत सुबिधाओं का भी अभाव है।

परिचय

हम बेघर नागरिकों को दिल्ली मे फुटपाथ, पार्क, रेलवे स्टेशन , बस स्टैण्ड व धार्मिक स्थानो पर देखते हैं यह बेघर नागरिक अपने श्रम के द्वारा दिल्लीवासियों को सुविधाएँ मुहैया कराते हैं। और इन्हे कठिन से कठिन श्रम का पर्याप्त पारिश्रमिक भी नही मिलता । यह सभी रोजगार की तलाश मे पलायन कर गॉव से शहर की तरफ आते हैं।

महत्त्व

यह अध्ययन दिल्ली शहर में बेघर नागरिक (शहर निर्माता) की सामाजिक एवम् आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाने के लिये किया गया है। हम ऐसे तथ्यों को ढूंढ निकालने की कोशिश करते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेघर नागरिक (शहर निर्माता) के जीवन को प्रभावित करते हैं। यह उनकी जिन्दगी को पहचानने में मदद करेगी ताकि वो अपनी रोज़ मर्रा की परेशानी को कुछ कम कर सकेंगे जो उन्हें झेलनी पड़ती है।

कार्यपद्धति

बेघर नागरिक (शहर निर्माता)कहां से प्रवास करके आए हैं और इसके पीछे उनका क्या कारण है ? वो किस तरह का काम करते हे।हैं अपने रोज़गार को सुरक्षित रखने के लिए एवं सवयं को सुरक्षित सखने के लिए वो क्या चाहते हैं तथा अपने काम के प्रति व आवास के प्रति उनका क्या विचार है ? इन सवालों का उत्तर ढूढंने के लिये
निम्नलिखित क्षेत्र में सर्वेक्षण किया गया था :–

सर्वे का क्षेत्र

- पुल मिठाई
- निजामुददीन
- लोधी रोड
- सेवा नगर
- पीली कोठी
- सन्त नगर
- नागली खादर
- मयूर विहार फेस 1
- शुबास नगर
- पटपड गंज
- यमुना खदर
- चिल्ला

- राजा गार्डन
- गुरू गोबिन्द सिंह हॉस्पिटल
- कालकाजी
- कनाट प्लेस
- सिविल लाईन
- लाल किला
- पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन
- मीना बाजार
- कशमीरी गेट
- सुबाश पार्क
- कस्तूरबा नगर
- दिलशाद गार्डन
- कुदुसिया घाट
- हसनपुर
- गीता कालोनी
- जमुना बाजार
- मोतिया खान

  क्योंकि ये सभी क्षेत्र काफी भीड़–भाड़ वाले हैं इसलिए यहां बेघर नागरिक आसानी से देखे जा सकते हैं।इन क्षेत्रों में 170 उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछा गया इन 170 उत्तरदाताओं में सभी बेघर हैं, और फुटपाथ या आश्रय गृह में रहते हैं। शहरी अधिकार मंच की सहायता से सभी आवश्यक सूचनाओं को सर्वे फार्म में रखा गया था।

उद्देश्य

1. बेघर नागरिक (शहर निर्माता)' की आर्थिक परिस्थितियों के बारे में पता लगाना।
2. बेघर नागरिक (शहर निर्माता)के बढते मौत के कारण को समझना।
3. विभिन्न समस्याओं एवम् उनके कारणों का पता लगाना।
4. स्वास्थ्य, साक्षरता के प्रति उनका रूझान क्या है ?
5. रोज़मर्रा की जिन्दगी व पहचान के बारे में जानकारी इकट्ठा करना।

तथ्य और विश्लेशण

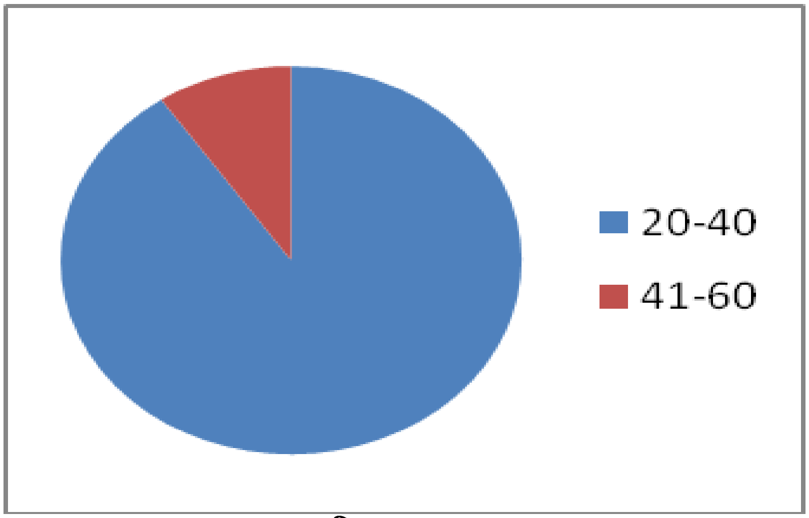

चित्र:1 आयु

चित्र 1 से पता चलता है कि बेघर नागरिक (शहर निर्माता) जो अधिक संख्या मे आश्रय गृह से बाहर रहते है उनकी उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच है। आश्रय गृह मे पर्याप्त सुविधाओं का न होना मुख्य कारण है जिसके वजह से बेघर नागरिक (शहर निर्माता) आश्रय गृह मे रहने से ज्यादा फुटपाथ पर रहना ज्यादा आरामदायक समझते हैं।

स्थाई पता	बिहार	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	राजस्थान	महाराष्ट	पश्चिम बंगाल	नेपाल
	44	18	38	13	19	13	24	1

तलिका : 2 मूल प्रदेष

तालिका 2 से यह देखा जा सकता है कि ज्यादातर उत्तरदाता बिहार और उत्तर प्रदेश से प्रवास करके आए हैं, जबकि दूसरी अधिकतम प्रवासित जनसंख्या पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। इन आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बेरोज़गारों की संख्या अधिक होगी। जहां कमाने के साधन नहीं है, और दिल्ली की ओर पलायन कर रहे हैं।

कहॉ रहते हैं	फुटपाथ	आश्रय गृह	अन्य किसी जगह
	124	23	23

तालिका : 3 सोने का स्थान

तालिका 3 से स्पष्ट होता है कि लगभग सभी उत्तरदाताओं के पास घर नहीं है और वे फुटपाथ पर रहते हैं। ऐसी जगह में उनकी वस्तुओं, उनकी जिन्दगी, स्वास्थ्य व पैसे की सुरक्षा नहीं है। और सरकार के उन दावों की पोल भी खोलते हैं जिसमे दावा किया जाता है कि पर्याप्त सुबिधायुक्त आश्रय गृह चलाए जा रहे हैं।

शिक्षा	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	अशिक्षित
	34	17	8	111

तालिका : 4 शिक्षा

तालिका 4 यह संकेत करती है कि कुल उत्तरदाताओं में से एक तिहाइ से भी कम ने स्कूल की दूसरी स्तर पार की है जबकि 20 प्रतिशत ने केवल प्राथमिक शिक्षा ही पूरी की है और 65 प्रतिशत बेधर नागरिक कभी स्कूल गए ही नहीं। इसी से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति का भी अन्दाज़ा लगाया जा सकता है।

वैवाहिक स्थिति		
1	विवाहित	74
2	अविवाहित	58
3	विधुर	16
4	विधवा	22

तालिका : 5 वैवाहिक स्थिति

तालिका :5 का अध्ययन इस तरफ इसारा करता है कि फुटपाथ पर रहकर भी परिवार के साथ जुडे हैं परन्तु आवास की व रोजगार के अभाव मे यह लोग अपने परिवार से दूर रहने को विवश है जिसके कारण कई बार इन्हे मानसिक रोग का शिकार होना पडता है और यह इनके व्यवहार मे भी नजर आनम लगता है।

रोज कितना कमाते है	रू0 50—100	रू0 100—200	रू0 200—300 या अधिक
	118	36	16

तालिका :6 आमदनी

तलिका 6 यह स्पष्ट हो जाता है कि 100 रूप्ए से भी कम प्रतिदिन कमाने वाले लगभग 74 प्रतिशत से भी अधिक है तो 10 रू0 का शुल्क देकर आश्रय गृह मे रह पाना उनके लिए नामुमकिन है और यही कारण है कि लोग आश्रय गृह मे जाने के बजाय फुटपाथ पर सोना पसन्द करते है।

रोजगार / व्यवसाय		
1	एस टी डी बूथ	1
2	सिलाई का काम	2
3	कूड़ा बीनना	24
4	खेतिहर मजदूर	6
5	भीख मॉगना	8
6	रेहडी पटरी	4
7	मन्दिर की सफाई	7
8	दिहाडी मजदूर	47
9	शादी पार्टी	38
10	रिक्शा चालक	6
11	हलवाई	4
12	चाय की दुकान	7
13	धक्का मजदूर	12
14	प्रेस करने वाला	2
15	बिजली का काम	1
16	पेन्टर	1

तालिका : 7 बेघर नागरिकों का रोजगार

तालिका : 7 यह स्पष्ट करता है कि बेघर नागरिक इस तरह के रोजगार कर अपनी आजीविका चलाते हैं। और ए वह काम है जो किसी भी शहर को चलायमान रखता है व शहर की अर्थव्यवस्था को संतुलित करता है। और इन कामो के न हो पान की स्थिति मे किसी भी शहर की विकाश की गति रूक सकती है। इस लिहाज से बेघर मजदूर शहर को आदर्श शहर बनाने मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बावजूद इसके वे आज भी अपने असतित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

आश्रय गृह मे न जाने का कारण	
1	आश्रय गृह मे लिया जाने वाला 10 रू शुल्क
2	शौचालंय का भरा होना एवं सफाई ना होना
3	गर्मी मे कूलर व पंखा का न होना
4	सामान रखने की व्यवस्था न होना जैसे– कुडा चुनने वाले, राज मिस्त्री के पास सामान होता है।
5	पीने के पानी व नहाने एवं कपडा धोने की व्यवस्था न होना
6	साफ व र्प्याप्त विस्तर का न होना
7	मच्छर से निवारण की कोई व्यवस्था न होना
8	सुरक्षा का न होना

तालिका : 8 आश्रय गृह मे न जाने का कारण

तालिका 8 सरकार के उन दावों को सिरे से खाजि करता है जिसमे दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड पर्याप्त शैल्टर व पर्याप्त सुविधा देने का दावा करता है यही कारण है कि लोग आश्रय गृह मे जाने के वजाय फुटपाथ पर रहना ज्यादा आरामदेय समझते हैं

निष्कर्ष :

इस अध्ययन मे 170 बेघर नागरिकों का सर्वेक्षण हुआ जो दिल्ली के कई क्षेत्रों मे किया गया इसमे नई दिल्ली व पुरानी दिल्ली जो बेघर नागरिको का अधिक आवादी वाला इलाका है शामिल है। इस सर्वेक्षण मे हर आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया और उनसे उनकी वर्तमान सिथिति को समझने का प्रयत्न किया गया जो एक सफल प्रयोग रहा। सबसे खास बात यह रही कि इसमे 20 वर्ष से 40 वर्ष आयु के लोगों की संख्या अधिक रही।

इस अध्ययन मे यह तथ्य भी सामने आया कि गॉव मे रोजगार के अवसर न होने के कारण लोग अपना व परिवार के जीवनयापन के लिए रोजगार की तलाश मे दिल्ली मे प्रवास करते हैं। और जब दिल्ली जैसे शहरों मे भी रोजगार व सुविधाओं के अभाव का सामना करना पडता है तब उनके सामने समस्याएँ व उन समस्याओं से निजात पाने की कठिन चुनौतियॉ आ खडी होती हैं और इन सबके बीच उनके उन उम्मीदों का दोहन हो जाता है जिन उम्मीदों के साथ अपने परिवार को छोडकर शहर की तरफ पलायन करते है।

रोजगार के मामले मे इस अध्ययन से यह पता चलता है कि जिन कामों को बेघर नागरिक करते है उन कामों के कारण शहर की खूबसूरती कायम रहती है व शहर के अर्थव्यवस्था को भी स्वस्थ्य रखने मे महत्वपूर्ण योगदान देती है। परन्तु सरकार व सरकारी तन्त्र बेघर समुदाय के अधिकारों की अनदेखी करती आ रही है जिसके कारण अमानवीय जिन्दगी जीने को मजबूर हैं। जिन कामों को करते हैं उन कामो का रोज न मिलना व पर्याप्त न्यूनतम मजदूरी न मिलना इनके जीवन को और कठिन बना देता है।

इस अध्ययन का महत्वपूर्ण पहलू जो निकलकर आया है कि 92 प्रतिशत लोग आश्रय गृह नही जाते और आश्रयगृह मे न जाने का कारण तालिका नम्बर 8 मे दिया गया है तालिका नम्बर 8 यह स्पष्ट कर देता है कि आश्रय गृह मे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जो मनूष्य के रहने लायक उपयोगी नही है। एक और बात का उल्लेख करना जरूरी है जो इस अध्ययन से

निकलकर आया है कि चूँकि यह सर्वेक्षण जून माह की भयावह गर्मी मे किया गया है तो यह बात निकलकर आई कि टीन से बना हुआ आश्रय गृह जो सूर्य की किरणे पडते ही तपने लगता है और उसमे पंखे व कूलर भी न हों तो आश्रयगुह मे रह पाना असम्भव है और 10 रू0 शुल्क वसूलना उस स्थिति मे जब कि नहाने व कपडे धोने की व्यवस्था न हो लोगों को नहाने व कपडे धोने के लिए सुलभ मे जाकर 10रू0 देना पडता है जो बेघर नागरिक वहन नही कर सकते। इस परिस्थिति मे लोग आश्रय गृह से बाहर रहने को विवश हैं। और यही कारण है कि बेघर नागरिकों को मौत मे अप्रत्याशित बढोत्तरी हो रही है।

इस अध्ययन के माध्यम से यह भी स्पष्ट हो गया कि खुले आसमान के नीचें सोने अथवा रहने के कारण तमाम तरह की गम्भीर बीमारियॉ भी हो जाती हैं संडक कं किनारे सोने पर दुर्घटना का खतरा बड जाता है परन्तु इस भयावह गमी मे सडक के किनारे इस लिए सोते हैं कि आती जाती गाडियों से हवा लगती है इससे गर्मी से भी राहत मिलती है। शोध से आखिरी निष्कर्ष यही निकलता है कि क्योंकि बेघर नागरिकों के लिए कोई नियम और संरक्षण नहीं है बेघर नागरिकों के द्वारा अपने श्रम से शहर को सेवा पहुंचाने के बावजूद उनका शोषण मनमाने ढंग से होता रहता है। ऐसी परिस्थिति मे बेघर नागरिकों को इन समस्याओं से बचाने के लिए व मूानव अधिकार की रक्षा के लिए विधान की आवश्यकता है जो उनके अधिकारों को संरक्षण दे सके।

आश्रयगृह मे ना जाने का कारण

- आश्रयगृह मे लिया जाने वाला शुलक 10 रूप्ए जो पहले 6 रूप्ए लिया जाता था। जो सुविधा के नाम पर लिया जाता है और सुविधा नाम की कोई चीज नही हांती
- आश्रय गृह के अन्दर बदबू आती है क्योंकि सालों साल विस्तर की सफाई नही होती
- गर्मी मे ना कूलर ना पंखा
- शौचालय मे सफाई नही रहती और जो शैचालय साफ होता है उसमे ताला बन्द होता है उसमे स्टाफ जाते है
- कार्यकर्ता का व्यवहार भी ठीक नही होता
- गर्मी मे पीने का ठंडा पानी नही होता
- नहाने और कपडा धाने की व्यवस्था नही होती उसके लिए सुलभ जाना पडता है और वहॉ भी पैसा देना पडता है
- मच्छरों से वचाव की व्यवस्था नही है

लोगों की टिप्पणी / सुझाव

लोगों से अध्ययन के दौरान कुछ इस प्रकार की बातें निकलकर आई

- आश्रय गृह निःशुल्क होना चाहिए
- बिजली,पानी,शैचालय,विस्तर,साफ सफाई,दवा, मनोरंजन के साधन ,सामान रखने की व्यवस्था आीदि की व्यवस्था होनी चाहिए
- आश्रयगृह कार्यकर्ता का व्यवहार मानवीय होना चाहिए, प्रशिक्षित कार्यकर्ता होने चाहिए।
- आश्रय गृह मे सुरक्षा होनी चाहिए
- सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए
- हम लोगों का पुनर्वास किया जाना चाहिए और हमे आवास के साथ जोडा जाना चाहिए।
- आश्रय गृह मे कूलर व पंखे लगाए जाने चाहिए
- महिलाओं के लिए सुरक्षित आश्रयगृह होना चाहिए
- महिला आश्रयगृह मे केच की व्यवस्था होनी चाहिए
- महिला आश्रयगृह मे स्वयं सहायता समूह चलाए जाने चाहिए